

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०-68/2012-
प्रेषक,

/कू०, पटना, दिनांक

अगस्त, 2015

बी० कार्तिकेय, मा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री एच०पी०एस० भंगु,
मेसर्स घार्डा केमिकल्स लि०,
प्रथम तल, नियर एपेक्स एकेडमी,
छोटी पहाड़ी, पो०-बड़ी पहाड़ी,
अगमकुँआ, पटना-7

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 50 दिनांक 18.09.2012 का नवीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन, कोषागार चालान एवं अन्य अभिलेखों तथा अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी पटना सदर से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के आलोक में स्वनिर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों से संबंधित बिक्री/भण्डारण अनुज्ञप्ति संख्या 50 दिनांक 18.09.2012 का नवीकरण उनके प्रिंसिपल सर्टिफिकेट एवं विनिर्माण अनुज्ञप्ति की वैधता तिथि के आधार पर दिनांक 31.12.2016 तक के लिए किया जाता है।

क्र०	कीटनाशी का नाम	क्र०	कीटनाशी का नाम
1	Alphamethrin 10% EC	22	Metalaxyl 8%+Mancozeb 64% WP
2	Quinalphos 25% EC	23	Hexaconazole 5% EC
3	Deltamethrin 2.8% EC	24	Pretilachlor 50% EC
4	Chlorpyrifos 50% EC	25	Imidachloprid 17.8% SL
5	Isoproturon 75% WP	26	Deltamethrin 1.8% EC
6	Indoxacarb 14.5% SC	27	Acephate 75% SP
7	Cypermethrin 10% EC	28	Atrazine 50% WP
8	Deltamethrin 2.5% Flow	29	Profenofos 50% EC
9	Deltamethrin 2.5% WP	30	Acetamiprid 20% SP
10	Chlorpyrifos 20% EC	31	Chlorpyrifos 16%+Alpha Cypermethrin 1% EC
11	Sulfosulfuron 75% WG	32	Triazophos 35%+Deltamethrin 1% EC
12	Fenvalerate 20% EC	33	Chlorpyrifos 50%+Cypermethrin 5% EC
13	Fipronil 0.3% GR	34	Mapiquat chloride 5% AS
14	Fipronil 5% SC	35	Piroxofop-Propargyl 15% WP
15	Anilofos 30% EC	36	Carbendazim 50%WP
16	Glyphoste 41% SL	37	Deltamethrin 1.25% ULV
17	Pendimethalin 30% EC	38	Temephos 1% GR
18	Monocrotophos 36% SL	39	Carbendazim 12%+ Mancozeb 63% WP
19	Triazophos 40% EC	40	Temephos 50% EC
20	Mancozeb 75% WP	41	Metsulfuron Methyl 20% WP
21	Cypermethrin 25% EC		

2-उपर्युक्त कीटनाशियों का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा :- मेसर्स घार्डा केमिकल्स लि०, प्रथम तल, नियर एपेक्स एकेडमी, छोटी पहाड़ी, पो०-बड़ी पहाड़ी, अगमकुँआ, पटना-7

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।


6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइन्ग एजेंट/विक्रय प्रतिनिधि एवं विक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

8- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति 50 दिनांक 18.09.2012 मूल रूप में संलग्न है। कृपया प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,
ह0/-
(बी0 कार्तिकेय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना। *

ज्ञापांक 4033 /कृ0, पटना, दिनांक 21 अगस्त, 2015
प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्प) उपादान, बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।